राष्ट्रीय सेवा योजना
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

डॉ0 साहेब दूबे
कार्यक्रम समन्वयक

मो0नं0 :–9452081115

पत्रांक : दिनांक :

प्रेषक,

डॉ0 साहेब दूबे,
कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
....
....

विषय :– **सत्र 2017–18 हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई गठन एवं कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन के सन्दर्भ में।**

महोदय/महोदय,

उपर्युक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासन के पत्र सख्या–05/सत्तर–रा0से0यो0को0–17–21/2017 दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम हेतु आवंटित नियमित छात्र संख्या–............ विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या–.............. की गयी है। इसी क्रम में आपसे अपेक्षित है कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 तक अपने सम्मानित महाविद्यालय को आवंटित छात्र व इकाई संख्या के अनुसार इकाई गठित कर इसकी सूचना से (आवश्यक प्रपत्र व पंजीकरण शुल्क सहित) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यह सूचना प्राप्त होने/विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में महाविद्यालय को समय से अग्रिम जारी करना सम्भव नहीं होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गठन में अधोलिखित बिन्दूओं का अनुपालन अनिवार्य है :–

1. किसी भी दशा में नियमित कार्यक्रम/विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या से अधिक स्वयंसेवकों को पंजीकृत/सम्मिलित न किया जाय।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम एवं विशेष शिविर में केवल स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ही प्रविष्ट किया जाय।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में सहभागिता करने से इच्छुक प्रत्येक स्वयंसेवक का पंजीकरण निवेश–पत्र के द्वारा किया जायेगा। इस निवेश पत्र की एक प्रति (जिसके

साथ विद्यार्थी के हाईस्कूल के अंकपत्र/प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा वर्तमान सत्र के फीस रसीद की छायाप्रति संलग्न हो तथा पंजीकरण शुल्क (रू0 500 प्रति इकाई) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय (निवेश–पत्र पर स्वयंसेवक/स्वयंसेविका) का मोबाइल नम्बर, इमेल व उनके मतदाता बनने की स्थिति का विवरण भी अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे महाविद्यालय जिनके पास निवेश पत्र का प्रारूप उपलब्ध नहीं है, वे इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट या रो0से0यो0 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।)

4. जिन महाविद्यालयों के कार्यक्रमाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, वे कृपया 30 दिसम्बर, 2017 तक नये कार्यकमाधिकारियों के नियुक्ति/कार्यकाल विस्तार हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। जिन कार्यक्रमाधिकारियों ने सात दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हीं का कार्यकाल विस्तार सम्भव है।

5. जिन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संख्या में वृद्धि हुई है उन महाविद्यालयों से भी अपेक्षित है कि वे नये कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण कर लें। इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अधोहस्ताक्षरी को तीन अध्यापकों की सूची प्रेषित करनी होगी जिसमें से किसी एक की नियुक्ति माननीय कुलपति जी द्वारा की जायेगी। कार्यक्रमाधिकारियों के नियुक्ति हेतु अध्यापकों के नाम प्रेषित करने से पूर्व उन अध्यापकों से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि एक बार नियुक्ति हो जाने के उपरान्त उसमें परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

6. जिन महाविद्यालयों को नई इकाई आवंटित हुई है उनसे अपेक्षित है कि वे अपने महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का बचत खाता संयुक्त रूप से प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैक में खोल लें क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा रा0से0यो0 के अनुदान की राश्ज्ञि उसी खाते हेतु निर्गत की जायेगी।

7. यह भी सूचित करना है कि शासनादेश के अनुसार समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यक्रमाधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के एक वर्ष के भीतर सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण (Orientation Training) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण समन्वयक इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना सेन्ट जांस कालेज, आगरा, समन्वयक इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र इण्डियन लिटरेसी बोर्ड साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ एवं समन्वयक इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय सेवा योजना, दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्व विद्यालय, गोरखपुर से तथा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निरन्तर आयोजित किये जा रहे हैं। अतः नववियुक्त समस्त कार्यक्रमाधिकारियों

एवं ऐसे पुराने कार्यक्रमाधिकारियों जिन्होंने अभी तक अभिविन्या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, से अपेक्षा की जाती है कि वे यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सत्र 2017–18 के अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय–सारिणी व आवेदन–पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी सूच्य है कि उक्त तीनों संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा प्रदत्त कोई भी अभिविन्यास प्रशिक्षण राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमाधिकारियों हेतु मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला दो दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण केवल आधारभूत जानकारी प्रदान करने के लिए है। अतः समस्त प्राचार्यों से अनुरोध वे अपने महाविद्यालय के कार्यक्रमाधिकारियों को सात दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु अवश्य भेंजे।

8. कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक सत्र 2016–17 का व्यय विवरण, उपभोग प्रमाण–पत्र एवं वार्षिक आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः अविलम्ब इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017–18 में आपके महाविद्यालय की इकाई निरस्त की जा सकती है। इसी प्रकार कुछ महाविद्यालयों द्वारा अभी तक वित्तीय अभिलेखों का ऑडिट नहीं कराया गया है, जिसके कारण ऑडिट की प्रक्रिया रूकी हुई है। अतः इसे अनिवार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

9. **<u>सलाहकार समिति का गठन एवं बैठक</u>** :– राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के महाविद्यालय स्तर पर प्रभारी आयोजन हेतु आवश्यक है कि सलाहकार समिति का गठन कर उसकी बैठक यथाशीघ्र कर लें। इस बैठक में सत्र की कार्ययोजना विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त तय कर ली जाय। महाविद्यालय की सलाहकार समिति का गठन आधोलिखित ढंग से होगा :–

1. प्राचार्य	–	अध्यक्ष
2. समस्त कार्यक्रमाधिकारी	–	सदस्य
3. एक वरिष्ठ प्राध्यापक / पूर्व कार्यक्रमाधिकारी	–	सदस्य
4. चयनित ग्राम / मलिन बस्ती के प्रधान / वार्ड मेम्बर	–	सदस्य

सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की सूचना अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवायी जाय।

10. विभिन्न दिवसों का आयोजन सत्र 2017–18 में समस्त कार्यक्रमाधिकारियों को नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 घण्टे की कार्य योजना बनानी है, जिसमें चार एक दिवसीय शिविर भी सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, पौधारोपड़, स्वच्छता

अभियान, जागरूकता रैलियां, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, साक्षरता अभियान, कूड़ा प्रबन्धन हेतु जागरूकता, जल संरक्षण जागरूकता आदि हो सकते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कार्यक्रम हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी स्वयंसेवकों की सहभागिता अनिवार्य है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त या साथ में इस सत्र में अधोलिखित प्रमुख दिवसों पर भी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है :–

1. पर्यावरण चेतना माह–19 नवम्बर, 25 दिसम्बर
2. मानवाधिकार दिवस–10 दिसम्बर
3. राष्ट्रीय युवा दिवस–12 जनवरी
4. राष्ट्रीय युवा सप्ताह–12–19 जनवरी
5. राष्ट्रीय मतदाता दिवस–25 जनवरी
6. गणतन्त्र दिवस–26 जनवरी
7. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस–8 मार्च
8. विश्व वन दिवस–21 मार्च

प्रत्येक स्वयं सेवक से वर्ष भर में नियमित कार्यक्रम में 120 घंटे की सहभागिता अनिवार्य है तथा किये गये कार्य का विवरण डायरी में तिथिवार अंकित किया जाय। प्रमुख दिवसों का डिजिटल प्रतिवेदन अवश्य तैयार किया जाय तथा इन दिवसों पर आयोजित कार्यक्रमों की आख्या/फोटो ग्राफ तथा अखबारों की कतरनों को समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय। सत्र समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक इकाई का प्रतिवेदन–फोटोग्राफ व अखबार की कतरनों सहित अधोहर्स्ताक्षरी को 15 अप्रैल, 2018 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए जिसमें इकाई के द्वारा आयोजित अधोलिखित कार्यक्रमों का वितरण अवश्य होना चाहिए–

1. इकाई द्वारा साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या–
2. इकाई द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजनों की संख्या तथा दान किये गये रक्त का विवरण (यूनिट में)–
3. इकाई के स्वयं सेवकों के माध्यम से रोपित किये/करवाये गये पौधों की संख्या–
4. जल संसाधन प्रबन्धन हेतु किये गये प्रयास व परिणम–
5. स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण का विवरण–
6. कार्यशाला/गोष्ठी आदि का आयोजन–
7. मतदाता जागरूकता हेतु किये गये प्रयास–
8. अन्य महत्वपूर्ण कार्य (स्पष्ट उल्लेख करें)–

11. **नियमित कार्यक्रमों हेतु कार्य योजना–** सत्र 2017–18 में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों कार्य योजना बनाते समय अधोलिखित पर विशेष ध्यान दें–

1. कार्ययोजना न्यूनतम 120 घंटे के नियमित कार्यक्रमों की होगी।
2. इसमें चयनित ग्राम में 4 एकदिवसीय शिविर (प्रत्येक 8 घंटे की अवधि के) स्पष्ट रूप से दर्शाये जाय।
3. कार्य योजना तभी मान्य होगी जब अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से उससे अवगत करा दिया जाय।
4. कार्ययोजना का प्रारूप निम्नवत होगा–

सत्र 2017–18 में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम कार्य योजना

महाविद्यालय का नाम–

इकाई संख्या–

छात्र संख्या–

कार्यक्रमाधिकारी का नाम–

चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम तथा महाविद्यालय से इसकी वास्तविक दूरी–

प्रस्तावित कार्यक्रम/गतिविधियां

क्र0सं0	**तिथि**	**अवधि**	**आयोजन स्थल**	**कार्यक्रम**

नोट– चयनित ग्राम/मलिन बस्ती हेतु यद्यपि 8 किमी सीमा निर्धारित है तथापि व्यावहारिक रूप से ऐसे गांव/बस्ती चयनित किये जाय जो न्यूनतम दूरी पर हो तथा जहां वास्तव में योजना (रा0से0यो0) की आवश्यकता है एवं वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

12. **स्वामी विवेकानन्द एन0एस0एस0 पुरस्कार–** विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को रा0से0यो0 के 5 श्रेष्ठ स्वयं सेवकों व 5 श्रेष्ठ कार्यक्रमाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार के लिए कम से कम 2 वर्ष से कार्यरत व प्रशिक्षित कार्यक्रमाधिकारी तथा 02 वर्ष तक स्वयं सेवक रहे छात्र/छात्राएं अर्ह (Eligible) हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय के 01 अर्ह एवं उत्कृष्ट कार्यक्रमाधिकारी व 01 स्वयं सेवक का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्धियों के विवरण, फोटो ग्राफ तथा समाचार पत्रों के कतरन सहित 12 जनवरी, 2017 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित प्रारूप यदि उपलब्ध न हो तो उसे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आपके

द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर निर्णय उचित समिति द्वारा लिया जायेगा तथा यह पुरस्कार युवा सप्ताह के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

13. **ग्राम/मलिन बस्ती सर्वेक्षण–** प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वाराचयनित ग्राम/मलिन बस्ती में सर्वेक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य किसी भी एक दिवसीय शिविर (चतुर्थ एक दिवसीय शिविर को छोड़कर) के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किया जा सकता है। यह सर्वेक्षण विशेष शिविर की कार्य योजना बनाने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। विशेष कार्याधिकारी रा0से0यो0 प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में एक ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। जिन महाविद्यालयों में उक्त प्रपत्र न हों वे विश्वविद्यालय रा0से0यो0 कार्यालय से उक्त प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सर्वेक्षण प्रपत्र में स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण द्वारा संकलित तथ्यों का प्रतिवेदन वार्षिक आख्या के साथ प्रेषित करना भी अनिवार्य हैं

14. **विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना वेबसाइट :–** राष्ट्रीय सेवा योजना, चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की वेबसाइट का निर्माण हो चुका है। इस वेबसाइट का पता nssjncu.org है। वेबसाइट पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित गतिविधियों/कार्यक्रमों की आख्या, फोटोग्राफ एवं अखबारों की कटिंग दिन–प्रतिदिन अपलोड किये जाते रहेंगे। वेबसाइट की देखरेख एवं सूचनाओं को अपलोड करने का दायित्व अधोहस्ताक्षरी के साथ ही साथ आपसे यह भी अपेक्षित है कि नियमित रूप से विश्वविद्यालय रा0से0यो0 के वेबसाइट का अवलोकन करते रहें क्योंकि समस्त सूचनायें वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रेषित की जायेंगी।

15. वित्तीय वर्ष के समाप्ति के तुरन्द बाद प्रमाण–पत्र पाने के अर्ह स्वयंसेवकों को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु सादा प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जाय तथा उसे पूरित कर (कार्यक्रम अधिकारी व प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर के उपरान्त) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उसे कार्यक्रम समन्वयक व माननीय कुलपति जी के हस्ताक्षर के उपरान्त महाविद्यालय को प्रेषित किया जा सके। इस हेतु विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से सादा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रमाण–पत्र हेतु अर्ह स्वयंसेवकों/स्वयंसेविकाओं की प्रमाणित सूची अधोलिखित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है अन्यथा सादा प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यह प्रोफार्मा (प्रारूप) निम्नवत् है :–

क्र0सं0	छात्र/छात्रा	पिता का	कक्षा	सामान्य कार्यक्रम के	विशेष शिविर की

	का नाम	नाम		सत्र जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा कार्य किया गया हो		तिथियां जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा सहभागिता की गयी हो	
				प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	दि0 से दि0 तक	दि0 से दि0 तक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्वयंसेवक/स्वयंसेविका ने 240 घण्टा एवं दो वर्ष कार्य पूर्ण करते हुए सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लिया है।

हस्ताक्षर प्राचार्य (मुहर सहित)

हस्ताक्षर कार्यक्रमाधिकारी (मुहर सहित)

16. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया/सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण माह जनवरी, 2017 में प्रस्तावित है। उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक कार्यक्रमाधिकारी की सहभागिता अनिवार्य है।
17. अधोलिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी को 30 दिसम्बर, 2017 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये :-
    a) पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्र, पंजीकरण शुल्क व इकाई गठन की सूचना
    b) नियमित कार्यक्रम की कार्य योजना
    c) सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवृत्त/आख्या
    d) एक दिवसीय शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन का प्रस्ताव
    e) रेड रिबन क्ल गठन हेतु पूरित प्रपत्र
    f) ऐसे कार्यक्रमाधिकारी जिन्होंने अभिविन्या प्रषिखण में सहभागिता नहीं की है, के द्वारा यह सूचना कि वे किस अभिविन्यास प्रशिक्षण में सहभागिता कर रहें (लिखित रूप में)?
18. **एकदिवसीय शिविर** :- जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा प्रथम तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अधोलिखित में से किन्हीं तीन तिथियों में आयोजित किये जायेंगे, जबकि चतुर्थ एक दिवसीय का आयोजन विशेष शिविर आयोजन के एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की सूचना स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य प्रेषित कर दी जानी चाहिए अन्यथा की स्थिति में शिविर का आयोजन स्वतः ही अमान्य हो जायेगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की सफाई या आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय

शिविरों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वरा कभी भी कियाजा सकता है। एक दिवसीय शिविरों का निरीक्षण न तो कार्यक्रम समन्वयक के अतिरिक्त किसी के द्वारा किया जायेगा न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गयी निरीक्षण आख्या मान्य नहीं होगी। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन का समय प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक है। इस समय में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इससे भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। प्रत्येक एक दिवसीय शिविर में कार्यक्रमाधिकारी एवं 100 पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीन एक दिवसीय शिविरों के आयोजन के उपरान्त ही सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन मान्य होगा। एक दिवसीय शिविरों का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में ही करना अनिवार्य है। चारों एक दिवसीय शिविर समाप्त हो जाने के 15 दिन के भीतर स्वयंसेवकों के उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु प्रस्तावित तिथियां निम्नलिखित है :–

1.	17 दिसम्बर, 2017	रविवार
2.	19 दिसम्बर, 2017	मंगलवार
3.	07 जनवरी, 2018	रविवार
4.	12 जनवरी, 2018	राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस
5.	14 जनवरी, 2018	रविवार
6.	21 जनवरी, 2018	रविवार
7.	25 जनवरी, 2018	राष्ट्रीय मतदाता दिवस
8.	31 जनवरी, 2018	रविवार

<u>**नोट**</u> :– उपरोक्त में से किन्हीं तीन तिथियों का चयन कार्यक्रमाधिकारी द्वारा विशेष शिविर आयोजन के पूर्व किया जायेगा तथा अन्तिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन के उपरान्त अपनी सुविधानुसार किया जायेगा परन्तु सभी एक दिवसीय शिविरों की तिथि पूर्व से ही निश्चित कर उसकी सूचना से अधोहस्तक्षरी सहित निम्नलिखित सदस्यों को भी कम से कम 15 दिन पूर्व अवगत करा दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथ की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जायेगा।

19. **सात दिवसीय विशेष शिविर** :– सात दिवसीय विशेष (दिन–रात) शिविर का आयोजन अधोलिखित विवराणानुसार किया जायेगा। इन्हीं तिथियों पर विशेष शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा। विशेष शिविर आयोजन की सूचना उचित प्रारूप पर विशेष शिविरों का आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित नहीं करने की दशा में शिविर अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष शिविर दिन–रात का होगा

तथा दिवसीय विशेष शिविर किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे। अतः इस सन्दर्भ में कोई पत्राचार न किया जाय। यह भी सूच्य है कि विशेष शिविर का निरीक्षण उप कार्यक्रम सलाहकार, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ, विशेषकार्याधिकारी वं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योना कोष्ठक) विभग उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा किसी भी समय (रात या दिन) किया जा सकता हैं। उपरोक्त तीनों अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया निरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति को विशेष शिविर का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो उसे उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में से किसी द्वारा अधिकार पत्र (अवश्य प्रदान किया जायेगा। शिविर के दौरान समस्त आवश्यक अभिलेख (पंजीकृत स्वयंसेवकों की उपस्थिति पंजिका, स्टाक पंजिका, कार्यवाही पंजिका, परियोजना प्रस्ताव, स्वयंसेवकों की डायरी आदि) शिविर स्थल पर कार्यक्रमाधिकारियों के पास अवश्य होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन अभिलेखों की मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सात दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन से पूर्व तीन एक दिवसीय शिविरों का आयोजन अनिवार्य है। सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन चयनित मलिन बस्ती/ग्राम में किया जाना अनिवार्य है। सभी कार्यक्रमाधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दें। उक्त नम्बर विशेष शिविर के दौरान दिन–रात ऑन रहना चाहिए।

20. भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई–मेल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना श्री अंशुमालि शर्मा, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं श्री अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशक हाल नम्बर–1स, आठवें तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाईयों को भविष्य में इकाई निरस्त कर दिया जायेगा, इसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

21. विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों के इकाइयों को निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा अधिकारी उच्चशिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक

दिवस की गतिविधियों पर 2 पृष्ठ (7x2=14), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ X7=पृष्ठ), संलग्न होनी चाहिए। रिपोर्ट की हार्ड कॉपी कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी को साफ्ट कॉपी एवं विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित करें।

22. स्ववित्तपोषित इकाइयों हेतु शासन से कोई अनुदान नहीं होगा।

सात दिवसीय विशेष शिविर की तिथि

समूह (अ) के महाविद्यालय :— 04 फरवरी, 2017 से 09 फरवरी, 2017

1. श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया, 2. कुबेर महाविद्यालय, हसनपुर, जजौली नं0—1, बलिया, 3. शिवराज स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, रसड़ा, बलिया, 4. गांधी महाविद्यालय, मिड्ढा, बेरूआरबारी, बलिया, 5. तिलेश्वरी महिला महाविद्यालय, गौरा, पतोई, बलिया, 6. जयप्रकाश महिला महाविद्यालय, नगरा, बलिया 7. माँ फूला देवी कन्या महाविद्यालय, तिलौली (बघुड़ी), बलिया 8. बाबा रामदल सूरज देव स्मारक महाविद्यालय, माधो (पकवाईनार), नवापुरा—रसड़ा, बलिया, 9. रामधारी चन्द्रभान महाविद्यालय, नकफरेपुर, नगपुरा, बलिया, 10. हीरानन्द महाविद्यालय, नरायनपुर, रसूलपुर, रसड़ा, बलिया, 11. जनता महाविद्यालय, नगरा, बलिया, 12. जय मौनी बाबा देवा गिरधारी महाविद्यालय, रोहना रसड़ा, बलिया।

समूह (ब) के महाविद्यालय :— 13 फरवरी, 2017 से 19 फरवरी, 2017

1. कुँवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया, 2. श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरहीं, बलिया, 3. महाविद्यालय, बांसडीह, बलिया, 4. गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय, गौरीशंकर पुरम, बलिया 5. स्व0 केशव प्रसाद महाविद्यालय, ससना, बहादुरपुर, बिल्थरारोड, बलिया, 6. विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया 7. राधामोहन किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, नियामतापुर, कन्सो, बलिया, 8. महात्मा रतन गुलजार महाविद्यालय, सरायभारती, कोप, सिलहटा, बलिया 9. श्री रामचन्द्र महाविद्यालय, त्रिकालपुर, गड़वार, बलिया 10. चन्द्रशेखर बाबा केशव महाविद्यालय, संवारा, रसड़ा, बलिया।

राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर के प्रभावी आयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि का विवरण पत्र अधोलिखित है। कृपया विवरणानुसार ही व्यय सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में इससे अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

सामान्य कार्यक्रम

क्र0सं0	पद	दर	इकाई हेतु अधिकतम उपलब्ध राशि (रूपये में)
1.	कार्यक्रम अधिकारी को आउट ऑफ पाकेट एलाउन्स	400 प्रतिमाह	4800/–
2.	अंशकालिक लिपिक	150 प्रतिमाह	1800/–
3.	अंशकालिक परिचर	100 प्रतिमाह	1200/–
4.	स्टेशनरी		2500/–
5.	उपकरण		2500/–
6.	सामान्य कार्यक्रम		2500/–
7.	चार एक दिवसीय शिविर	रू0 12 प्रति छात्र	4800/–
8.	कार्यक्रम अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पर यात्रा व्यय		1000/–
9.	अनुषंगिक व्यय		400/–
		कुल योग	**21500/–**

<u>विशेष शिविर</u> :– विशेष शिविर (दिन–रात) का सात दिन का होगा, जिसमें प्रति स्वयंसेवक रूपये 450/– के दर से अर्थात् 50 छात्रों हेतु अधिकतम रूपये 22500/– एक इकाई पर व्यय हेतु प्राप्त होगा।

(नोट–दिवसीय विशेष शिविर मान्य नहीं होगा परन्तु यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि शिविर मात्र दिन में ही आयोजित हुए हैं, तो ऐसी दशा में उस इकाई को रूपये 12 प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन की दर से ही भुगतान किया जायेगा।)

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के आयोजन के सन्दर्भ में किसी भी अन्य जानकारी हेतु कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। आशा है कि आप सभी के सहयोग से वर्ष पर्यन्त राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित होती रहेंगी।

<u>संलग्नक</u> :– यथोपरि।

डॉ0 साहेब दूबे
कार्यक्रम समन्वयक

<u>प्रतिलपि</u> :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :–

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2. श्री अंशुमालि शर्मा, विशेषकार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. श्री अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय हाल नम्बर–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।
4. कुलपति जी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
5. निजी सचिव, कुलपति जी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
6. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
7. कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
8. कार्यालय प्रभारी–राष्ट्रीय सेवा योजना, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
9. विनोद कुमार सिंह, प्रभारी–वेबसाइट इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

डॉ0 साहेब दूबे
कार्यक्रम समन्वयक